niversity
csjmufocamp@gmail.com

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly Kanpur University, Kanpur)

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

संदर्भ : CSJMU/F.O.Camp/784 /2023

दिनांक : 25.03.2023

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा आदेशानुसार वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.02.2023 के प्रस्ताव संख्याः 2023:66:12 के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्याः CSJMU/F.O.Camp/1571/2022 दिनाँक 04.06.2022 के क्रम में सरकारी संस्थानों के सत्यापन शुल्क की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

प्रस्ताव संख्या 2023:66:12 — कार्यालय आदेश संख्याः CSJMU/F.O.Camp/1571/2022 दिनाँक 04.06.2022 के क्रम में सरकारी संस्थानों के सत्यापन शुल्क की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया संलग्न/निर्गत कार्यालय आदेश संख्याः CSJMU/ F.O.Camp/1571 /2022 दिनाँक 04.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त, नगर निगम, उच्चतर माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक एवं अर्द्धशासकीय कालेज/संस्थानों का निःशुल्क सत्यापन किये जाने का उल्लेख है किन्तु उक्त आदेश में सरकारी संस्थानों के सत्यापन शुल्क का उल्लेख नहीं है। अतः तद्क्रम मे सरकारी संस्थानों से प्राप्त होने वाले सत्यापनों को भी निशुल्क की श्रेणी मे रखे जाने के संबंध मे एवं निजी संस्थानों अथवा निजी संस्थानो द्वारा सत्यापन हेतु अधिकृत निजी एजेन्सियों के माध्यम से प्राप्त सत्यापनों के शुल्क रू0 1000/–तथा दूतावास के माध्यम से प्राप्त होने वाले सत्यापन का शुल्क रू0 1400/–, जोकि पूर्व मे प्रदत्त मौखिक निर्देशानुसार लिया जा रहा है (आदेश अप्राप्त), को पुनरीक्षित/अनुमोदित किये जाने हेतु मा0 वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सरकारी संस्थानों से प्राप्त होने वाले सत्यापनों को निःशुल्क एवं निजी संस्थानों अथवा निजी संस्थानो द्वारा सत्यापन हेतु अधिकृत निजी एजेन्सियों के माध्यम से प्राप्त सत्यापनों के शुल्क रू0 1000/–तथा दूतावास के माध्यम से प्राप्त होने वाले सत्यापन का शुल्क रू0 1400/– (1500/– ऐसे छात्र जिनका पूर्व मे प्रवेश के साथ शुल्क जमा नही है) लिये जाने की सहमति पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यवाही अपेक्षितः कुलसचिव/स.कु.स., छात्र सहायता प्रकोष्ठ

उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 01.03.2023 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद की बैठक के मद संख्या 2023–17 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(अशोक कुमार त्रिपाठी)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. स.कु.स., छात्र सहायता प्रकोष्ठ, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।
2. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार त्रिपाठी)
वित्त अधिकारी